न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3737–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–2014 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 131/ए/13–14.

श्रीमती गंगा बाई बेवा किशनलाल
निवासी उमरावगंज
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन
2– रामशरण आचार्य, पटवारी हलका नं. 19
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
3– श्रीमती प्रेमबाई पत्नी अवधनारायण
सरपंच, ग्राम पंचायत उमरावगंज
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–14 के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 131/ए/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान ग्राम पचायत, उमरावगंज के सरपंच को पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 20–10–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर

व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत के सरपंच को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण राज्य शासन एवं व्यथित पक्षकार आवेदक के विरूद्ध प्रचलित होने के बावजूद भी आयुक्त द्वारा अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच को पक्षकार बनाया गया है । यह भी कहा गया कि अब श्रीमती प्रेमबाई ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर नहीं है, इसलिए भी उसे पक्षकार बनाया जाना निरर्थक हो गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि आयुक्त द्वारा जिस सरपंच प्रेमबाई को पक्षकार बनाया गया था, वह वर्तमान में सरपंच के पद पर नहीं है, इसलिए अब उन्हें पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः आयुक्त द्वारा प्रेमबाई को पक्षकार बनाये जाने तक की सीमा तक आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है । आयुक्त के आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया शासकीय भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, अतः इस संबंध में आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–10–2014 अंशतः निरस्त किया जाकर । निगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर